षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-19.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डा० सी०एन० गुप्ता, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री राजू तिवारी, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्री राज किशोर सिंह, स०वि०स० श्री अभय कुमार सिन्हा, स०वि०स०	बिहार में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र की स्थापना का कार्य अधूरा रहने के कारण मरीजों को सस्ती एवं जेनरिक दवाएं आसानी से नहीं मिल पा रही है । राज्य में अबतक मात्र 155 जन औषधि केन्द्र की स्थापना होने के बाद भी चिकित्सक जेनरिक दवाएं लिखने में रूचि नहीं ले रहे हैं । साथ ही जो केन्द्र खुले हैं उनमें भी पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं । अत: राज्य में जन औषधि केन्द्र में पर्याप्त मात्रा में दवा उपलब्ध कराने एवं चिकित्सकों को जेनरिक दवाएं रोगियों को लिखने के लिये निर्देशित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	स्वास्थ्य

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स० श्री केदार प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह, स०वि०स०	लीची को मौसम आधारित फसल बीमा के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं किया गया है जिसके कारण मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के लीची उत्पादकों को लीची की फसल बर्बाद होने पर बीमा का लाभ नहीं मिलता है । साथ ही, इस वर्ष मुजफ्फरपुर जिले में फैली (AES) चमकी बुखार के पीछे लीची को कारण बताकर समाचार पत्रों, मीडिया, सोशल मीडिया आदि पर प्रचारित किया गया जिसका आधिकारिक तौर पर कोई खंडन नहीं आने के कारण लीची का बाजार मंदा हो गया और लीची उत्पादकों को जबर्दस्त घाटा हुआ । लीची उत्पादकों के समक्ष जीवन-यापन का प्रश्न खड़ा हो गया है । अत: लीची उत्पादकों पर छाये इस संकट के समाधान हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।	कृषि

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/19- 872 / वि०स०, पटना, दिनांक-18 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/19- 872 / वि०स०, पटना, दिनांक-18 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

18/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।